

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3528
17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत
पीएम ई-ड्राइव योजना

3528. श्रीमती पूनमबेन माडम:

श्री मितेश पटेल (बकाभाई):

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पीएम ई-ड्राइव योजना की मुख्य विशेषताएं, प्रमुख घटक और उद्देश्य क्या हैं;
- (ख) क्या पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना में पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में वृद्धि दर्ज की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या पीएम ई-ड्राइव योजना में प्रोत्साहन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए विशिष्ट लक्ष्य हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) ई-वाउचर प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या यह योजना इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति श्रृंखला में छोटे और मध्यम उद्यमों को सहायता करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्यमंत्री
(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) : भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में हरित गतिशीलता और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण पारितंत्र के विकास को गति प्रदान करने के लिए 29.09.2024 को 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम' को अधिसूचित किया है। इस स्कीम का परिचय 31.03.2026 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये है। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 01.04.2024 से 30.09.2024 तक की छह माह की अवधि के लिए कार्यान्वित इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन स्कीम (ईएमपीएस)- 2024 को पीएम ई-ड्राइव स्कीम में शामिल कर लिया गया है।

पीएम ई-ड्राइव स्कीम की मुख्य विशेषताएं:

- i. भारी उद्योग मंत्रालय ने स्कीम के तहत ई-वाउचर की शुरुआत की है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदार मांग प्रोत्साहन का लाभ उठा सकें।
- ii. इस स्कीम के तहत ई-एम्बुलेंस और ई-ट्रकों की तैनाती के प्रयोजन से प्रत्येक के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की एक नई

पहल है ताकि रोगी को आरामदायक तरीके से लाने-ले जाने के लिए ई-एम्बुलेंस के उपयोग को बढ़ावा मिल सके। इसी प्रकार, स्कीम के तहत ई-ट्रकों की भी शुरुआत की गई है क्योंकि ट्रक वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारक हैं। ई-ट्रक पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अनुमोदित वाहन स्क्रेपिंग केंद्र (आरवीएसएफ) का स्क्रेपिंग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है।

iii. वाहन परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए 780 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

इस स्कीम के निम्नलिखित तीन घटक हैं:

- सब्सिडी: ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रकों और अन्य नई उभरती इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणियों के लिए मांग प्रोत्साहन हेतु 3,679 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं;
- पूँजीगत परिसंपत्ति सृजन अनुदान: ई-बसों, चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क की स्थापना और इस स्कीम के तहत चिह्नित परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए 7,171 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं; और
- आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) कार्यों और परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के लिए शुल्क सहित योजना के प्रशासन के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

(ख) : जी हां। इस स्कीम की शुरुआत से ही इलेक्ट्रिक वाहनों का अंगीकरण बढ़ता गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल के अनुसार, देश में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या और वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल से नवंबर) की तुलना में उनकी वृद्धि नीचे सारणीबद्ध है:-

पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या		% वृद्धि
01 अप्रैल, 2023 से 30 नवंबर, 2023 तक	01 अप्रैल, 2024 से 30 नवंबर, 2024 तक	
10,39,408	13,05,926	25.64%

(ग) : पीएम ई-ड्राइव स्कीम का उद्देश्य 14,028 ई-बसों, 2,05,392 ई-तिपहिया (एल5), 1,10,596 ई-रिक्शा और ई-वाहनों तथा 24,79,120 ई-दुपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान कर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, ई-ट्रकों, ई-एम्बुलेंस, ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों और परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए भी इस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) : व्यक्तिगत खरीदारों के लिए, पीएम ई-ड्राइव ऐप फेस मोडेलिटी का उपयोग कर आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण पूरा करने के बाद एक ई-वाउचर सृजित करता है। गैर-व्यक्तिगत खरीदारों के लिए, पीएम ई-ड्राइव पोर्टल ई-वाउचर सृजित करता है। इस ई-वाउचर का उपयोग मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए किया जाता है।

(ङ) : पीएम ई-ड्राइव स्कीम के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अनुपालन की आवश्यकता होती है जिसमें मध्यम और लघु उद्यमों सहित स्थानीय निर्माताओं से घटकों की सोर्सिंग को अनिवार्य बनाया गया है। इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है।
